न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री चन्द्रभानसिंह भाटी, आर.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्र.सं. : 20/2019
GCMS Case No. 2019/00069

सायल :– सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक पाली

बनाम

गैरसायल:– श्री रोशन उर्फ रूस्तम पुत्र श्री अब्दुल रसीद जाति भिश्ती निवासी भिस्तीयों की गली पाली पुलिस थाना कोतवाली पाली

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2(ख)(5) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित :
सायल की ओर से अभियोजन अधिकारी पाली
गैर सायल स्वयं उपस्थित

:: निर्णय ::

दिनांक :– 9-2-2023

सायल जिला पुलिस अधीक्षक पाली की ओर से दिनांक 16.4.2019 को गैरसायल श्री रोशन उर्फ रूस्तम पुत्र श्री अब्दुल रसीद जाति भिश्ती निवासी भिस्तीयों की गली पाली पुलिस थाना कोतवाली पाली के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(5) के अन्तर्गत परिवाद/सूचना प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैरसायल थाना कोतवाली पाली का आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति हैं, जिसके खिलाफ 2011 से 2018 तक कुल 7 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए है। सभी प्रकरणों में गैरसायल को दोषसिद्ध घोषित किया जाकर सजा से दण्डित किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.स.	मु0न0	धारा	फैसला दिनांक	निर्णय
1	64/2011	454,380 भादस	8-12-2016	दिनांक 8.12.2016 को सीजेएम पाली द्वारा संदेह का लाभ देकर बरी
2	109/2012	13 आरपीजीओ एक्ट	28-2-2012	दिनांक 28.2.2012 को सीजेएम पाली द्वारा 100/– रू. अर्थदण्ड
3	212/2012	13 आरपीजीओ एक्ट	22-5-2012	दिनांक 22.5.2012 को सीजेएम पाली द्वारा 100/– रू. अर्थदण्ड
4	211/2013	13 आरपीजीओ एक्ट	2-7-2013	दिनांक 2.7.2013 को सीजेएम पाली द्वारा 100/– रू. अर्थदण्ड
5	616/2014	13 आरपीजीओ एक्ट	23-3-2015	दिनांक 23.3.2015 को एसीजेएम पाली द्वारा 100/– रू. अर्थदण्ड
6	202/2017	13 आरपीजीओ एक्ट	30-5-2017	दिनांक 30.5.2017 को एसीजेएम सा.दंगा कोर्ट पाली द्वारा 100/– रू. अर्थदण्ड
7	191/2018	13 आरपीजीओ एक्ट	25-7-2018	दिनांक 25.7.2018 को एसीजेएम सा.दंगा कोर्ट पाली द्वारा 100/– रू. अर्थदण्ड

उपरोक्त दर्ज चालान सुदा प्रकरणों एवं रोजनामचा आम में दर्ज रपटों से यह बखूबी साबित है कि गैरसायल रोशन उर्फ रूस्तम पुत्र श्री अब्दुल रसीद जाति भिश्ती निवासी भिस्तीयों की गली पाली पुलिस थाना कोतवाली पाली जिला पाली आदतन व आलेदर्जे का जुआरी व सक्रिय बदमाश है जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध प्रवृति में लिप्त है, जो आदतन अपराधी होने से आम जनता में भय व्याप्त है एवं लोग गैरसायल के भय से पुलिस को सूचना देने से कतराते है। निरन्तर अपराध करने से जनता में दुष्प्रभाव पडता है व पुलिस की छवि पर भी लोगो का अविश्वास प्रकट होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। अतः इस्तगासा बरखिलाफ गैरसायल के अन्तर्गत धारा 2(ख)(5)राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अपराधी को गुण्डा घोषित कर जिले से निष्कासन हेतु कानूनी कार्यवाही करावे।

सायल की ओर से पेश प्रकरण इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। उक्त परिवाद/सूचना पर यह न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट होकर कि गैरसायल के विरूद्ध धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर मौजूद है। गैरसायल के विरूद्ध लगाये गये आरोपो की सामान्य प्रकृति की सूचना हेतु धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 का नोटिस मय जिला पुलिस अधीक्षक पाली की सूचना/परिवाद की तामिल करवाई गई।

गैर सायल ने वक्त बहस कथन किया कि उसके विरूद्ध समस्त प्रकरण पुराने है तथा वर्तमान वह एक आम जीवन बसर कर रहा है तथा मजदूरी कर के अपना परिवार चला रहा है। वह अब जुआ खेलने या अन्य लोगो को जुआ खेलने हेतु प्रेरित करने में लिप्त नहीं है। अतः उसके विरूद्ध पेश इस्तगासा खारिज फरमाया जावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन, अनुशीलन एवं विश्लेषण किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि गैरसायल के विरूद्ध माननीय अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सा.दंगा) पाली के मुकदमा नम्बर 191/2018 में दिनांक 25.7.2018 को आदेश पारित करते हुए धारा 13 आर.पी.जी.ओ.एक्ट में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर 100/– रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। इसी प्रकार माननीय अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सा.दंगा) पाली के मुकदमा नम्बर 1178/2017 में दिनांक 30.5.2017 को आदेश पारित करते हुए धारा 13 आर.पी.जी.ओ.एक्ट में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर 100/– रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। उपरोक्त प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(5) के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजात् के आधार पर गैरसायल रोशन उर्फ रूस्तम पुत्र श्री अब्दुल रसीद जाति भिश्ती निवासी भिस्तीयों की गली पाली पुलिस थाना कोतवाली पाली जिला पाली को गुण्डा घोषित किया जाता है तथा राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 की धारा 3(3)(क) के तहत दो माह की अवधि के लिए पुलिस थाना कोतवाली पाली जिला पाली से निष्काषित कर पुलिस थाना प्रतापनगर जोधपुर जिला जोधपुर के नियन्त्रण में रखे जाने के आदेश दिये जाते है। गैरसायल आज की तारीख से 15 दिवस पश्चात अर्थात दिनांक 12-3-2023 से 60 दिन के लिये पुलिस थाना प्रतापनगर जोधपुर जिला जोधपुर में सप्ताह में एक बार अर्थात 60 दिन में आठ बार अपनी उपस्थिति

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

देगा तथा थानाधिकारी प्रतापनगर जोधपुर जिला जोधपुर गैरसायल की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे एवं रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। गैरसायल इस अवधि में नेकचलन रहेगा तथा सदाचार एवं शांति बनाये रखेगा। गैरसायल अपने पास किसी प्रकार का मादक पदार्थ हथियार/शस्त्र नही रखेगा तथा किसी आपराधिक गतिविधि में कर्ता/दुष्प्रेरक के रूप में भाग नही लेगा एवं न ही किसी आपराधिक कार्य में सहायता करेगा। गैरसायल रोशन उर्फ रूस्तम इस आदेश की पालना हेतु स्वयं का मुचलका 10 हजार रूपये एवं इसी कदर मौतबिर जमानत अधिनियम की धारा 7 के तहत पेश कर तस्दीक करायेगा। थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली पाली जिला पाली गैरसायल रोशन उर्फ रूस्तम को पुलिस अभिरक्षा में उक्त नियत तिथि को पुलिस थाना प्रतापनगर जोधपुर जिला जोधपुर की सीमा में पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। थानाधिकारी प्रतापनगर जोधपुर जिला जोधपुर उनके यहां गैर सायल की उपस्थिति की सूचना इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे एवं थानाधिकारी कोतवाली पाली जिला पाली अपने थाना क्षेत्र में गैरसायल के वापस लौटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी तहरीर के साथ थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली पाली एवं थानाधिकारी प्रतापनगर जोधपुर जिला जोधपुर को भिजवाई जावे।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 9-2-2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राजस्थान)